आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –152 / 2023

दीपक कुमार वर्मा

बनाम

1. बिहार सरकार
2. समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, युगल किशोर ठाकुर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–01 / 2018 में दिनांक–26.12.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लहलादपुर, सारण द्वारा अपने पत्रांक 111 दिनांक 02.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर, छपरा के यहाँ दिये गये परिवाद पत्र के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति जाँच करने पर निम्नवत् अनियमितता पायी गईः– (i) मार्च–2017 के खाद्यान्न का उठाव करने के बावजूद उसका वितरण न कर विक्रेता द्वारा कालाबाजारी में बेच दी गयी थी। (ii) जाँच पदाधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु पंजियो की मांग करने पर विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।	

Web Copy Not Official

उक्त के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा ज्ञापांक 524 दिनांक 29.04.2017 से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसका प्रत्युत्तर नही ंदेने के फलस्वरूप पुनः ज्ञापांक 914 दिनांक 07.06. 2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु पुनः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा ने अपने आदेश ज्ञापांक 1694 दिनांक 13.09.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 18/ 2016 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा के न्यायालय में वाद सं0–01/ 2018 दायर किया गया। समाहर्त्ता, सारण द्वारा दिनांक 26.12.2022 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता, सारण के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार :–

(i) यह कि ज्ञानवती देवी आवेदक की माता थी जो ग्राम पंचायत राज पुरूषोत्तमपुर, प्रखंड– लहलादपुर, जिला– सारण के अंतर्गत पी0डी0एस0 दुकान चलाती थी जो अनुज्ञप्ति सं0– 18/16 था।

(ii) यह कि बलिराम तिवारी और रघुनाथ तिवारी के आवेदन के आधार पर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा ज्ञानवती देवी के दुकान का जाँच करने की बात कही गई है और दिनांक 13.09.2017 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ज्ञानवती देवी के दुकान का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया। अपर समाहर्त्ता –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार, सारण द्वारा दिनांक 27.05.2017 को निर्णय दिया गया कि दुकानदार ज्ञानवती देवी से बलिराम

Web Copy Not Official

तिवारी (शिकायतकर्त्ता) का अब कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ज्ञानवती देवी ससमय अनाज का वितरण कर दी है।

(iii) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा अपने आदेश में कहते है कि दूरभाष पर खाद्यान्न संबंधी पंजी की माँग की गई परन्तु किस मोबाईल नम्बर पर कितने बजे माँग की गई यह कहीं नहीं आदेश में दर्शाया गया है।

(iv) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा खाद्यान्न वितरण नहीं करने के आरोप में स्पष्टीकरण के साथ वितरण पंजी की माँग की गई और द्वितीय कारणपृच्छा दिनांक 07.06.2017 को निर्गत किया गया। इन दोनों तारीख में स्पष्टीकरण और कारणपृच्छा माँगने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा यह नहीं कहा गया है कि किन–किन व्यक्तियों के द्वारा शिकायत किया गया है एवं उनका नाम क्या है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार विक्रेता द्वारा ''बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के मार्गदर्शिका के विपरीत आचरण किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालीय आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लहलादपुर, सारण द्वारा अपने पत्रांक 111 दिनांक 02.04.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा को दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा ज्ञापांक 524 दिनांक 29.04.2017 से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसका प्रत्युत्तर नही देने के फलस्वरूप पुनः ज्ञापांक 914 दिनांक 07.06.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु पुनः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। स्पष्टीकरण

Web Copy Not Official

समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, छपरा ने अपने आदेश ज्ञापांक 1694 दिनांक 13.09.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति सं0 18/2016 को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, सारण, के न्यायालय में वाद सं0–01/2018 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 26.12.2022 को मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्न का उठाव कर वितरण न कर कालाबाजारी किया जाना, जाँच पदाधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु पंजी की माँग करने पर प्रस्तुत नहीं किया जाना एवं अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर देते हुए की गई स्पष्टीकरण का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिये जाने का प्रमाणित आरोप है।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(viii) एवं 25(i)(ड़) में अंकित है किः–

14(viii)''निरीक्षी पदाधिकारियों के निदेश के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं के आवंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अन्य सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा जैसा कि निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा मांगी जाय।''

(25)(i)(ड़) ''कालाबाजारी में लगा हो अथवा खुले बाजार में खाद्यान्नों को भेज रहा हो अथवा अन्य व्यक्ति/संगठन के राषन दूकानों को दे देता हो, अपने को अपनी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए दायी करेगा। संबंधित प्राधिकारी इस विषय में लापरवाही नहीं दिखाएंगे।''

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के उपबंधों तथा अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के कंडिका 21 में अंकित है किः–

Web Copy Not Official

''अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा वितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षण पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगी जाय।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा किया गया कृत्य बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14(viii), 25 (i)(ड़) एवं अनुज्ञप्तिधारी के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के कंडिका 21 में वर्णित शर्त्तो के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपीलार्थी को सुनकर/ पक्ष रखने का समुचित अवसर देने के बाद मुखर आदेश पारित किया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को **<u>अस्वीकृत</u>** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

Web Copy Not Official